SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, it is a very urgent matter.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): You can raise this matter in the Zero Hour.

MR. CHAIRMAN: Resume your places.

SHRI V. NARAYANASAMY : Chairman has told you to raise this issue at 12 O' clock.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूग्ण, लघु और मध्यम उद्यम

*1. **श्री राम जेठमलानी**:
श्री शिवानंद तिवारी: ††

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में देश में लगभग 1.3 करोड़ औद्योगिक इकाइयां हैं, जो कि लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में आती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उद्यम क्षेत्र से देश का लगभग 40 प्रतिशत निर्यात होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में वास्तविक आंकलन सहित ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है जो अब तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण रूग्ण हो चुकी है तथा इस रूग्णता से निपटने के लिए इस क्षेत्र को बैंकों व अन्य संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान देश के निर्यात में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का हिस्सा 33 प्रतिशत था। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित करने के बाद क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को शामिल करने तथा उद्यमों की संख्या में परिणामत: वृद्धि से देश के निर्यात में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हिस्से का 40 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) जबकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण जो इकाइयां रुग्ण हो गई हैं, उनकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है, एमएसएमई पर अंतर्राष्ट्रीय मंदी के प्रभाव को देखते हुए, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य चीजों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है :

(1) 7 **दिसंबर** 2008 **और** 2 **जनवरी** 2009 **को घोषित प्रोत्साहन पैकेज**

- 31 मार्च 2009 तक लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए प्री-शिपमेंट तथा पोस्ट-शिपमेंट निर्यात क्रेडिट में 2 प्रतिशत की ब्याज दर संबंधी कटौती।

†† सभा में यह प्रश्न श्री शिवानंद तिवारी द्वारा पूछा गया।

- 50% गारंटी कवर के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋणों पर गारंटी कवर को 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये किया जाना। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला गारंटी कवर 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए 85% तक बढ़ाया जाएगा।

- विद्यमान क्रेडिट गारंटी योजना के तहत आने वाले ऋणों के लिए लॉक-इन अवधि को 24 महीनों से घटाकर 18 महीने किया जाएगा।

(2) **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय**

- एस एम ई क्षेत्र को ऋणों में वृद्धि के लिए सिडबी हेतु 7,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित सीमा।

- बैंकों को सिडबी के एम एस एम ई पुनर्वित निधि में कुल 2000 करोड़ रुपये की राशि का योगदान देने की सलाह दी गई है।

- एकबारगी उपाय के रूप में, 30 जून, 2009 तक बैंकों द्वारा एक्सपोजरों पर की गई दूसरी पुनःसंरचना विशेष विनियामक ट्रीटमेंट के लिए पात्र होगा।

- अपने बड़े कारपोरेट ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए क्रेडिट सीमाओं को संस्वीकृत/नवीनतम करते समय बैंकों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से एम एस ई से खरीद के लिए भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु समूची सीमाओं के भीतर पृथक उप-सीमाएं निर्धारित करें।

(3) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा घोषित किए गए उपाय**

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 10 करोड़ रुपये तक की संपूर्ण निधि आधारित क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयों के लिए मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20% तक के आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यक्षम पूंजीगत मांग ऋण प्रदान करेंगे।

- सूक्ष्म उद्योगों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज दरें 1% तक और एस एम ई के लिए 0.5% तक कम करना।

- जहां मौजूदा हालात में परियोजना कार्यान्वयन में विलंब हुआ है, वहां एम एस एम ई द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए अधिस्थगन अवधि बढ़ाई जाएगी।

Sick, Small and Medium Enterprises

†*1. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI SHIVANAND TIWARI: ††
Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present there are about 1.3 crore industrial units in the country which are in small and medium enterprises sector;

(b) if so, whether it is also a fact that this enterprises sector contributes about 40 per cent to the exports of the country; and

(c) if not, the details of the actual estimate and the number of units in this sector which have become sick so far due to international economic recession and the amount proposed to be provided by banks and other institutions to this sector to get rid of this sickness?

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI MAHAVAIR PRASAD): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) As per latest data available, the share of micro and small enterprises (MSEs) in the country's exports during 2006-07 was 33 per cent. With the inclusion of medium enterprises in the sector after the enactment of Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 and the consequent increase in the number of enterprises, the share of MSMEs in the country's exports is estimated to be about 40 per cent.

(c) While precise number of units that have become sick due to international economic recession is not available, keeping in view the impact of international economic recession on MSMEs, the Government, the Reserve Bank of India and the Public Sector Banks have taken several measures for providing a stimulus to the MSMEs which, *inter alia*, include:

(1) **Stimulus Packages announced dated 7th December, 2008 & 2nd January, 2009**

- Interest subvention of 2 per cent in pre and post-shipment export credit to SME sector up to 31.03.2009.
- Loan limit under Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises extended from Rs. 50 lakh to Rs. 1 crore with a guarantee cover of 50%. The guarantee cover extended by Credit Guarantee Fund Trust will be increased to 85% for credit facility up to Rs. 5 lakh.
- Lock-in period for loans covered under the existing Credit Guarantee Scheme reduced from 24 months to 18 months.

(2) **Measures announced by the Reserve Bank of India**

- Refinance limit Rs. 7000 crore to SIDBI for incremental on-lending to the MSB sector.
- Banks have been advised to contribute an aggregate amount of Rs. 2000 crore to the MSME Refinance Fund with SIDBI.
- As a one-time measure, the second re-structuring done by banks of exposures upto 30th June, 2009 will also be eligible for exceptional regulatory treatment.
- While sanctioning/renewing credit limits to their large corporate borrowers, banks have been advised to fix separate sub-limits, within the overall limits, specifically for meeting payment obligations in respect of purchases from MSEs.

(3) **Measures announced by the Public Sector Banks**

- Public Sector Banks to grant need-based *ad hoc* Working Capital Demand Loans upto 20 per cent of the existing funds based limits in respect of units having overall fund based credit facility upto Rs. 10 crore.
- Reduction in interest rates for borrowing by micro enterprises by 1 per cent and in respect of SMEs by 0.5 per cent.
- Moratorium period will be extended in respect of loans availed by MSMEs where project implementation has been delayed in the current scenario.

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, यह micro, small and medium enterprise का जो सेक्टर हे, इसके संबंध में सरकार ने यह खुद माना है कि देश से जो एक्सपोर्ट होता है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, जिसके ऊपर (*) मुकदमा चल रहा है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't introduce extraneous issues ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, जिसके ऊपर (*) मामला है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Paniji please sit down ...*(Interruptions)*... Please don't bring extraneous issues ...*(Interruptions)*... Please resume your seat ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, यह आपका कैसा शासन चल रहा है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't introduce extraneous issues ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, जो मंत्री (*) जिसके ऊपर (*) मुकदमा चल रहा है ...(**व्यवधान**)... महोदय, यह आपका कैसा शासन चल रहा है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Pani, please resume your seat ...*(Interruptions)*... Mr. Pani, please resume your seat. Please allow the Question Hour to proceed. I would request the hon. Member to please allow the Question Hour to proceed ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, यह सदन का अपमान है ...(**व्यवधान**)... यह सदन की गरिमा का अपमान है ...(**व्यवधान**)... जिसके ऊपर (*) मुकदमा चल रहा है, वह सदन में कैसे है ...(**व्यवधान**)... यह सदन का अपमान है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please let the Question Hour proceed. This is interference in the work in the House ...*(Interruptions)*... Please allow the Question Hour to proceed.

श्रीमती माया सिंह: महोदय, जिनके ऊपर केस चल रहा है, वह यहां सदन में कैसे बैठे हुए हैं ...(**व्यवधान**)...।

MR. CHAIRMAN: Please Paniji, resume your seat ...*(Interruptions)*... This is Question Hour ...*(Interruptions)*... Let us proceed with the Question Hour. You can raise other matters through appropriate procedure ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: उनको सप्लीमेंटरी सवाल पूछने दीजिए। धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, सरकार ने यह खुद माना है कि देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें 40 प्रतिशत हिस्सा micro, small and medium enterprise सेक्टर का है और सरकार की वेबसाइट पर यह उपलब्ध है कि लगभग 50 मिलियन डॉलर मूल्य का उत्पाद इस सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया है। आज इस सेक्टर की हालत खराब है। सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि सरकार इस सेक्टर को सहारा देने के लिए क्या-क्या उपाय करने जा रही है।

श्री सभापति: आप अपना सवाल पूछिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, सरकार का यह कहना है कि बैंकों को फलां-फलां निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इस सेक्टर के प्रति बैंकों का और खासकर पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो बैंक हैं,

---

(*) Expunged as ordered by the Chair.

उनका रवैया जिस तरीके का है, उससे मुझे यकीन नहीं होता है कि सरकार ने जो उपाय किए हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: तिवारी जी, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1999-2000 में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जो टोटल ऋण दिया था, उसमें इस सेक्टर का मात्र 15.6 परसेंट हिस्सा था और वह लगातार हर साल घटते हुए 2007-08 में आठ प्रतिशत तक हो गया है।

श्री सभापति: तिवारी जी, आप अपना सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार ने इस सेक्टर को सहारा देने के लिए बैंकों को निर्देश दिया है। बैंक उन निर्देशों का पालन करेंगे, यह कैसे विश्वास किया जा सकता है, जब कि इस साल ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: तिवारी जी, आप भाषण मत दीजिए, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं कि ऋण के मामले में इस सेक्टर का प्रतिशत जो लगातार घटता जा रहा है, उसके आलोक में आपने जो जवाब दिया है कि आपने बैंकों को अमुक-अमुक निर्देश दिए हैं, उस पर कैसे विश्वास किया जाए कि बैंकों के द्वारा उन निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा? ऋण के मामले में इस सेक्टर का जो प्रतिशत गिरता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री सभापति: तिवारी जी, आपने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब सुन लीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, पहले ये जवाब दें कि क्या इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है ...(**व्यवधान**)...?

MR. CHAIRMAN: Mr. Pani, please do not interrupt ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, it is not a proper forum to raise ...*(Interruptions)*... You are raising every issue every time ...*(Interruptions)*...

श्री महावीर प्रसाद: आदरणीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है कि जो क्रमशः कमी हो रही है, इसको हमने मान लिया है। बैंकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का जो बैंक पालन नहीं कर रहा है, हम उस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री महोदय के साथ विचार-विमर्श किया गया है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आरबीआई द्वारा बैंकों को जो दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, बैंक उनका पालन करें, जिससे कि इस सेक्टर में जो कमी-मंदी है, उसको हम ठीक कर सकें। हम इसमें लगातार लगे हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास उसका पूरा विवरण होगा कि कब-कब इन बैंकों को निर्देश हुआ है। हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि इस सेक्टर के प्रति बैंकों में क्रमशः जो कमी आई है, आज पूरे विश्व में विश्वव्यापी कमी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक-से-अधिक काम करके उन लोगों के पास पहुंचे, जहां पर बैंकों के द्वारा ऋण दिया गया है।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सप्लीमेंटरी का जवाब दिया है, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। पुरानी बात छोड़ दीजिए, इस वित्तीय वर्ष में जो पहली तिमाही थी, उसमें 1,04,830 करोड़ रुपए

इस सेक्टर को मिले। दूसरी तिमाही में वह घटकर 1,02,435 करोड़ हो गया और तीसरी तिमाही में, दिसम्बर में वह मात्र 99,190 करोड़ रुपया ही रह गया है। इस प्रकार मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरवीन किया है, उसका कहीं भी बैंकों के कामकाज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है जबकि इस सेक्टर में 31 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। सरकार का इस सेक्टर के प्रति जो attitude है, वह अत्यंत खराब है। बैंक सरकार के किसी भी निर्देश को नहीं मान रहे हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बैंकों का जो attitude है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो इतना बड़ा सेक्टर है, 40 परसेंट एक्सपोर्ट में जिसका हिस्सा है, उसको आप फिर से कैसे खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? इसके अलावा जो बैंक आपके निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उस संबंध में अब तक आपने क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति जी, बैंकों का सीधे संबंध वित्त मंत्रालय से है। हमने वित्त मंत्रालय से और वित्त मंत्री महोदय से इस संबंध में शिकायत की है और इस संबंध में शिकायत की में बातचीत भी की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो। यदि आप चाहेंगे तो कब-कब हमने क्या-क्या किया है, वह सब मैं आपको भेज दूंगा।

श्री शिवानन्द तिवारी: सरकार क्या बैंकों के सामने बिल्कुल फेल है? क्या सरकार का बैंकों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Mr. Chairman, Sir, I want to know this from the hon. Minister. Is the Finance Ministry part of one Government and his Ministry part of another Government? The enactment of the Bill on micro, small, and medium scale enterprises ensures special treatment for the SMEs in the matter of loan, for payment of dues, and for providing marketing facilities. A statutory board was also constituted for that. Despite that; even after the passage of the Bill, during the last three years, the share of the SMEs in the total bank credit has been consistently going down. Along with that, the SMEs contribution towards export and employment generation has been, consistently, going up. Today, the global melt down has created a severe economic crisis. Now, there is nobody to take the loan because all the ancillaries attached to the automobile industries, attached to the export-oriented textile mills...

MR. CHAIRMAN: What's the question?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am coming to the question. They have just closed down. Now, the question is not only of bank credit. You have directed the banks, but, they have just not obliged. Not just today, but, since the last three years it is happening. What, precisely, has the Government done? The Finance Ministry and the Industry Ministry are part of the same Government.

Now, since all ancillaries attached to the automobile sector and other important export-oriented sector have closed down.

MR. CHAIRMAN: Let the question be answered.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: And many people have lost their jobs, what precisely is the Government going to do to reopen them and bring them back to business? I would like to put this

question in the backdrop of yesterday's President's Address in which it was mentioned, *'aam aadmi ko kya mila*?' I would request the Minister to reply to this, and not pass on the buck to the Finance Ministry.

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही मौलिक प्रश्न है कि इस सब के लिए उन्होंने क्या-क्या किया। ...(**व्यवधान**)... हमारे लिए पिछले तीन वर्षों में ऋण की मात्रा में वृद्धि बीस प्रतिशत से अधिक रही है। हम यह मानते हैं कि इस क्षेत्र का हिस्सा कुल ऋण में कम हुआ है। फिर भी यह जो क्षेत्र है, यह जो सेक्टर है, वह आर्थिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। जैसा उन्होंने प्रश्न पूछा कि वित्त मंत्रालय और यह मंत्रालय क्या अलग है - हम यह कभी नहीं कहेंगे कि वित्त मंत्रालय अलग है और हमारा मंत्रालय अलग है। हम जानते हैं कि यह संयुक्त रेस्पांसिबिलिटी है तथा हम उसमें लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक सैक्टर को मजबूत किया जाए।

श्री तपन कुमार सेन: सर रिप्लाई नहीं आया। ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has answered that.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I seek your protection. My question has not been replied.

MR. CHAIRMAN: Raise it appropriately. Mr. Ahlwalia, please go ahead with the supplementary.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I seek your protection.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र - एस.एम.इज. की जो प्रोब्लम है उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की गई, जो 50 लाख रुपए से एक करोड़ की गई। उसकी मुख्य मंशा थी कि अगर उद्यमी 50 लाख रुपए की गारंटी देता है तो एक करोड़ की क्रेडिट गारंटी सरकार उठाएगी। सरकार उसके 50 परसेंट पर एक करोड़ की गारंटी पर उसको लोन मुहैया कराएगी। महोदय, अभी मंदी के दौर में आर.बी.आई. ने अपने बहुत सारे प्रावधानों का संशोधन करते हुए करीब तीन लाख करोड़ नकदी बाजार में उपलब्ध कराई। इसमें कितना प्रतिशत एस.एम.ई. को मिला, क्योंकि आज एस.एम.ई. लिक्विडिटी के प्रोब्लम से ग्रसित है और उसे किसी भी बैंक से कर्जा नहीं मिलता है। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक केस में बैंक आफिशियल से बात की जिसमें आई.टी.आई. का एक ट्रेडर 20 लाख रुपए कर्जा मांग रहा था तथा वह बैंक को 27 लाख रुपए की जमीन उपलब्ध करा रहा है। उसके बाद बैंक कहता है कि तीस लाख रुपए की गारंटी लाओ तब यह बीस लाख रुपए देंगे। अगर एक उद्यमी के पास अपने घर के 50 लाख रुपए या 57 लाख रुपए हों तो वह कर्जा आपके पास लेने क्यों जाएगा।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मेरे को याद है कि इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ लघु उद्योग के उद्यमियों को मदद करने के लिए किया था। किन्तु राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों की धरा बड़े उद्योगपतियों की तरफ चली गई, लघु उद्यमियों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता।

श्री सभापति: आप सवाल तो पूछिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि आज मंदी के दौर में आप लघु उद्योग के उद्यमियों के लिए क्या विचार कर रहे हैं और आप उनको कितना लोन देंगे?-(क), मेरा "ख" है कि आज डी.आर.टी.-डैड रिकवरी ट्रिब्युनल में कितने केस स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री पर हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Ahluwaliaji, precious time is being lost.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, फिर जवाब नहीं आएगा।

MR. CHAIRMAN: Just ask the supplementary.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, डी.आर.टी. इन्हीं के अंडर है। डी.आर.टी. के तहत कितने केस स्मॉल स्केल पर हैं और कितने बड़े उद्योगों के ऊपर हैं और ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: That is not the issue here.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, लास्ट पार्ट। जब वन टाइम सैटलमेंट आप उद्यमियों को देते हैं तो दूसरी बार जब वह लोन लेने जाता है तो उसको नहीं दिया जाता, वह बार्ड हो जाता है, उसको नहीं दिया जाता। ऐसा लघु उद्यमियों के साथ क्यों है? सत्यम जैसे मालिक रामलिंगम राजू के साथ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please do not introduce extraneous subjects.

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान मित्र ने बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया है, ऋण क्रांति योजना के अन्तर्गत एक लाख तीस हजार से अधिक प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। कुल बयालिस सौ करोड़ रुपए के लिए है। इसी के तहत एक करोड़ रुपए तक हमने क्रेडिट गारंटी योजना में किया है। क्रेडिट गारंटी योजना में छोटे लघु उद्योग सैक्टर के लिए सिडबी को सात हजार करोड़ रुपया हमने दिया है। फिर उसके बाद दो हजार करोड़ रुपया और दिया गया। केवल इस सैक्टर को मजबूत करने के लिए सिडबी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, उसके लिए डिटेल मैं आपको लिख कर भेज दूंगा।

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether they have taken any action against the banks, because banks are not cooperating with the SMEs. The banks have to manage the entrepreneurs. The SMEs want to have marketing management services and bank assistance, but banks are not cooperating with them. Has the Government taken any action against those banks? It not, are they contemlating to take any action against them?

श्री महावीर प्रसाद: आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने बैंकों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में सवाल पूछा है। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी बैंक के खिलाफ या बैंकों की जो गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ वह लिखकर दें। अभी तक मैंने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है, चूंकि कहने के लिए कह दिया जाता है, अगर लिखकर दें कि अमुक बैंक ने अमुक व्यक्ति को यह ऋण नहीं दिया है, ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: मंत्री जी, इसके बारे में अहलुवालिया जी ने अभी आपको बताया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री महावीर प्रसाद: उन्होंने अभी बताया तो है, लेकिन तिवारी जी, इसके बारे में लिखकर दीजिए। हम तो जांच कराने के लिए तैयार हैं, परन्तु आप लिखकर दे दीजिए।

देश में भुखमरी की स्थिति

*2. **श्री बलवंत *उर्फ* बाल आपटे**: ††
श्री श्रीगोपाल व्यास :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

†† सभा में यह प्रश्न श्री बलवंत *उर्फ* बाल आपटे द्वारा पूछा गया।